# यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संघटक स्वायत्तशासी महाविद्यालय)

# छात्र-संघ संविधान (नियमावली)

## 2013

## अनुच्छेद : I

**खण्ड** 1 : **शीर्षक और उपयोगिता**

1. इस संविधान (नियमावली) को छात्र-संघ संविधान (नियमावली) यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज छात्र-संघ संविधान (नियमावली) 2013 कहा जायेगा।
2. यह कॉलेज प्रबंध समिति के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
3. इस संविधान (नियमावली) के अनुसार ही भविष्य में छात्र-संघ के चुनाव सम्पन्न होंगे तथा छात्र संघ की गतिविधियाँ संचालित होगी।

**खण्ड** 2 : **नाम:-**

यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज छात्र-संघ संविधान (नियमावली) 2013

**खण्ड** 3 : **कार्यालय:-**

छात्र संघ का कार्यालय कॉलेज परिसर में होगा। उपर्युक्त स्थान कॉलेज द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

**खण्ड** 4 : **उद्देश्य वाक्य:-**

कॉलेज का छात्र-संघ कॉलेज के उद्देश्य वाक्य **अपने को ईश्वर के ग्रहण योग्य बनाये (Study to show thyself approved unto God)** के अनुरूप होगा। अर्थात छात्र-संघ नैतिक मूल्यों को कॉलेज परिसर में समृद्ध करने में सहयोग करेगा।

**खण्ड** 5 : **नियमावली हेतु परिभाषायें:-**

1. कॉलेज का अर्थ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद।
2. छात्र-संघ का अर्थ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद छात्र-संघ है।
3. संघ का अर्थ है छात्र-संघ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद।
4. प्राचार्य का अर्थ है यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद, के प्राचार्य।
5. संरक्षक का अर्थ है प्राचार्य, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद। छात्र-संघ संरक्षक प्राचार्य होंगे।
6. विद्यार्थी का अर्थ छात्र संघ चुनाव होने वाले सत्र में यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद में संस्थागत नियमित विद्यार्थी।
7. कार्यकारिणी का अर्थ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद छात्र-संघ कार्यकारिणी।
8. पदाधिकारी का अर्थ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद के छात्र-संघ के पदाधिकारी।
9. छात्र-संघ परामर्शदाता का अर्थ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद के पदानुरूप लगाया जाय।
10. बजट का अर्थ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद के छात्र संघ बजट की कुल आय-व्यय से है।
11. संशोधन का अर्थ लिंगदोह समिति के संस्तुति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया और उसका अनुपालन।
12. यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद की छात्र-संघ नियमावली लिंगदोह समिति की संस्तुति और विशिष्ट रूप में 6.2.4 मॉडल डी का कॉलेजानुसार अनुपालन।

*यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय का स्वायत्तशासी अल्पसंख्यक कॉलेज होने के कारण छात्र-संघ चुनाव हेतु लिंगदोह समिति की संस्तुति नियम ६.२.४ के मॉडल डी की आच्छादित अंश (संलग्न १) को स्वीकार किया है।*

**खण्ड** 6 : **उद्देश्य एवं लक्ष्य:-**

1. यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद के छात्र-संघ का उद्देश्य भारतीय संविधान के खण्ड 4 (क) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में छात्रों में देशभक्ति, सामाजिक चेतना, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विस्तृत मानसिकता, हृदय की विशालता, सहयोग की भावना, अनुशासनप्रियता व आदर्श नागरिक आचरण का विकास करना।
2. छात्र-संघ, छात्रों में जनतंत्र की भावना और जनतंत्रानुरूप विधियों से प्रशिक्षित करने का एक सशक्त माध्यम है जिससे छात्रों में सामाजिक दायित्वों के प्रति बोध, रचनात्मक क्रियाकलापों का विकास, संसदीय भाषानुरूप संवाद और आदर्श नागरिक का आचरण विकसित हो, का संकल्प है। इस उद्देश्य हेतु कॉलेज का छात्र-संघ विद्यार्थियों में पठन-पाठन के प्रति अभिरूचि,

साहित्यिक गोष्ठी, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन और महाविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयास करेगा।

**खण्ड** 7 : **संरक्षक:-**

1. कॉलेज के प्राचार्य छात्र-संघ के संरक्षक होंगे।
2. संरक्षक का कर्तव्य होगा कि छात्र हितो पर विचार कर उन्हें यथाशीघ्र लागू करना।
3. संरक्षक को अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर छात्र-संघ द्वारा प्रस्तुत किसी भी मॉग को कॉलेज की स्थायी समिति को प्रेषित कर उनके विचार प्राप्त करे। उनके विधिक पहलुओं हेतु विधिक परामर्श विधि विशेषज्ञों से लिखित रूप में प्राप्त कर स्वीकार की घोषणा करें और उसे लागू करे।
4. यदि प्राचार्य स्थायी समिति और विधिक परामर्श से कॉलेज की वर्तमान परिस्थितियों में अनुपालन में असमर्थ महसूस करते हैं तो वह प्रबन्ध समिति के परामर्शोपरान्त उसे लागू करने की घोषणा करें अथवा निरस्त करें।
5. संरक्षक को अधिकार होगा कि यदि छात्र-संघ अपने मूल उद्देश्य से विचलित हो जाय और कॉलेज की स्थायी समिति के मूल्यांकन में छात्र-संघ का आचरण संतोषजनक न हो तो वह तत्काल प्रभाव से छात्र-संघ को भंग कर सकता है।

**खण्ड** 8 : **छात्र-संघ स्थायी समिति:-**

छात्र-संघ स्थायी समिति का गठन निम्नवत होगा:-

1. संरक्षक द्वारा नामित सदस्य जो कार्यक्रम के संचालक होंगे।
2. छात्र-संघ सलाहकार
3. मुख्य अनुशासक
4. अध्यक्ष, शिकायत निवारण समिति
5. अध्यक्षा महिला समिति
6. मुख्य मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता
7. अधिष्ठाता छात्र-कल्याण

**अ. स्थायी समिति का अधिकार:-**

1. स्थायी समिति परामर्शदायी समिति है।
2. यह विभिन्न बैठकों की सूची तैयार कर छात्र-संघ संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
3. छात्र-संघ के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कार्य विवरण तैयार करना।
4. छात्र-संघ द्वारा प्रस्तावित किसी भी योजना का अवलोकन करना।
5. छात्र-संघ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के आचरण का अवलोकन एवं निर्णय।

**ब. स्थायी समिति का कर्तव्य:-**

1. स्थायी समिति प्राचार्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अपने कर्तव्य को पूरा करेगा।
2. स्थायी समिति छात्र संघ द्वारा किसी गतिरोध की दशा में उनके कृत्यों का अवलोकन कर उन्हें मार्ग निर्देशन करेगी।
3. स्थायी समिति के किसी एक सदस्य का मत उसका अपना मत माना जायेगा। परन्तु स्थायी समिति के संरक्षक का मत स्थायी समिति का मत माना जायेगा। स्थायी समिति सामूहिक रूप से अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार मानी जायेगी।
4. स्थायी समिति यदि चाहे तो अपने सदस्यों में से किसी एक को प्रवक्ता नियुक्त कर सकती है और उस विशेष व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य समिति का वक्तव्य माना जायेगा।

**स. स्थायी समिति का कार्यकाल :-**

स्थायी समिति का कार्यकाल समाप्त नही माना जायेगा। इसके सदस्य अपने पदानुरूप बदलते रहेंगे।

**खण्ड** 9 : **छात्र संघ संविधान संशोधन:-**

छात्र-संघ संविधान के संशोधन से सम्बन्धित यदि कोई आवेदन छात्रहित में प्राचार्य के समक्ष आता है तो:-

1. छात्र संघ सलाहकार उसकी गुणवत्ता का प्रारम्भिक परीक्षण करेंगे।

2. यदि वह आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है तो संघ के संरक्षक से अनुरोध करेंगे कि उसे स्वीकार कर संशोधन हेतु सहमति प्रदान करे।
3. संरक्षक यदि विद्यार्थी/कॉलेज हित में संशोधन की व्यवहारिक उपयोगिता में संदेह महसूस करते हैं तो उसे अस्वीकृत अथवा आवेदन पत्र में बदलाव हेतु सुझाव दे सकते हैं।
4. आवेदन पत्र सुधार के बाद अथवा मूलरूप में स्वीकार होने के बाद उसे स्थायी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. स्थायी समिति से बहुमत के आधार पर स्वीकृत होने के बाद आवेदन पत्र संरक्षक के पास स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
6. संरक्षक द्वारा स्वीकृत होने के बाद उसे विद्वत् परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
7. संरक्षक एवं विद्वत् परिषद से स्वीकृत आवेदन पत्र कॉलेज की प्रबन्ध समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
8. प्रबन्ध समिति उसे अनुमोदित करेगी। परन्तु यदि वह असंतुष्ट होती है तो वह संरक्षक के पास आवेदन के आंशिक अथवा पूर्ण भाग को पुनर्विचारार्थ भेज सकती है।
9. प्रबन्ध समिति असंतुष्टि के संदर्भ में कोई आख्या दे सकती हैं अथवा नही भी दे सकती है। इस कार्य हेतु वह स्वतंत्र है।
10. संरक्षक द्वारा पुन: प्रस्तावित आवेदन पत्र प्रबन्ध समिति स्वीकार करेगी और उसे अनुमोदन प्रदान करेगी।
11. प्रबन्ध समिति संरक्षक के पास अनुमोदित संशोधन क्रियान्वयन हेतु भेज सकती है।
12. प्राचार्य संरक्षक से प्राप्त संशोधन तत्काल अथवा परिस्थितियों के आंकलनोपरान्त लागू करने का आदेश दे सकते हैं।
13. प्राचार्य द्वारा आदेश की तिथि से संशोधन लागू माना जायेगा।

## अनुच्छेद : II
## सत्ता

**खंड** 1 : इस संविधान के द्वारा छात्र-संघ को प्रदान की गई सत्ता महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से प्राप्त होगी जिसे संविधान 30 (1) द्वारा अल्पसंख्यक संस्था को प्रदत अधिकार के अन्तर्गत प्रदान किया गया है। यह अधिकार सत्र 2013-2014 से प्रभावी होगा।

**खंड** 2 : संघ को अधिकार होगा कि वह:-
1. इस संविधान के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को बनाये रखने तथा उसकी सुरक्षा करने में महाविद्यालय का सहयोग करें।
2. यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का तथा महाविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष उन क्षेत्रों में "प्रतिनिधित्व करने का जो छात्र-संघ के सदस्यों के सामान्य कल्याण से सम्बद्ध हो अवश्य करें।''
3. छात्र-संघ तथा महाविद्यालय प्रशासन में उदित मतभेदों के निवारण हेतु प्रजातात्रिक तथा संवैधानिक साधनों को प्रयोग करने का।

**खंड** 3 : इस संविधान में वर्णित किसी भी हिस्से का अर्थ यों न लगाया जाय जिससे छात्र-संघ को ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाए जो अन्य किसी संगठन में निहित हो। ऐसे किसी मतभेद की स्थिति में जो छात्र-संघ तथा अन्य छात्र संस्था के मध्य उठ खड़ा हो, न्यायिक समिति, इस सिद्धान्त के आधार पर विवाद पर निर्णय देगी कि इससे समस्त विद्यार्थी समुदाय का कल्याण सम्बद्ध है अथवा केवल एक अंश का। यदि आंशिक विद्यार्थी लाभावन्ति होते हैं तो ऐसे किसी अधिकार के अनुप्रयोग पर न्यायिक समिति रोक लगा सकती है।

## अनुच्छेद : III
## सदस्यता

**खंड** 1 : यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के संस्थागत छात्र (विज्ञान एवं कला) छात्र-संघ के सदस्य होंगे।

**खंड** 2 : यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के शैक्षणिक विभाग के सदस्य शुल्क देने की स्थिति में छात्र-संघ के सदस्य बन सकते हैं।

**खंड** 3 : सदस्यता शुल्क २० रू0 वार्षिक होगा। इसमें (सदस्यता शुल्क) समय-समय पर परिवर्तन प्राचार्य द्वारा गठित समिति की संस्तुति के अनुरूप होगा।

**खंड** 4 : छात्र-संघ के सदस्य उन समस्त अधिकारों तथा सुविधाओं का उपयोग करेंगे जो इस संविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

**अनुच्छेद : IV (अ)**

## कक्षा वर्ग प्रतिनिधि

## अर्हतायें

खंड **1** : कॉलेज का प्रत्येक छात्र, छात्र-संघ के सदस्य होने का अधिकार रखता है प्रत्येक नियमित संस्थागत विद्यार्थी जो निम्न योग्यतायें रखता है कक्षा वर्ग प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु नामांकन कर सकता है:-

1.क उसकी महाविद्यालय में प्रवेश की अवधि किसी भी दशा में उसके शैक्षिक वर्ष से अधिक न हो। अनुत्तीर्ण, किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित न होना एवं संकाय परिवर्तन के विद्यार्थी निर्वाचन हेतु आर्हय नही होंगे।.

1.ख **आयु :** कोई भी विद्यार्थी जिसकी आयु **17** वर्ष से **22** वर्ष के मध्य न होगी, कक्षा वर्ग प्रतिनिधि/छात्र संघ पदाधिकारी नही होा सकता। आयु की गणना नामांकन प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी।

2. पिछली कक्षा में कम से कम **50** प्रतिशत अंक प्राप्त हो।

3. क. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु उपस्थिति **50** प्रतिशत से कम न हो। उपस्थिति की गणना पिछली कक्षा जिसे उत्तीर्ण कर वह कक्षा वर्ग का सदस्य बना है तथा सत्र जिसमें वह विद्यार्थी है की कक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि से छात्र संघ चुनाव के घोषणा के पूर्व माह के उस्थिति के औसत से की जायेगी। छात्र संघ संविधान (नियमावली) शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के बाद लागू की जा रही है इसलिए यह उपबन्ध सत्र 2014-15 से प्रभावी होगा।

3. ख. स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना उनकी कक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि से उस सत्र में जिसमें वह विद्यार्थी है, उपस्थिति की गणना छात्र संघ चुनाव के घोषणा के पूर्व माह के उस्थिति से की जायेगी।

**विशेष:** यह नियमावली शैक्षिक सत्रारम्भ होने के बाद लागू की जा रही है इसलिए यह उपबन्ध (४) इस शैक्षिक सत्र (2013-14) में लागू नही होगा परन्तु यह उपबन्ध सत्र २०१४-१५ से प्रभावी होगा।

4. वह कॉलेज अनुशासन समिति से दण्डित न हुआ हो एवं उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित ना हो।

5. उसे न्यायालय द्वारा कोई आपराधिक दण्ड न दिया गया हो अथवा कोई आपराधिक मामला लम्बित न हो।

6. उसे कॉलेज द्वारा पिछली परीक्षाओं में अनुशासनात्मक दण्ड न दिया गया हो।

खंड **2** : **कक्षा वर्ग प्रतिनिधियों का निर्वाचन:-**

कक्षा वर्ग प्रतिनिधियों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक विषय के प्रत्येक वर्ग से कम से कम एक विद्यार्थी निर्वाचित होकर निर्वाचक मण्डल का सदस्य बनेगा। कक्षा-वर्ग प्रतिनिधि के निर्वाचन में छात्र/छात्राओं के पदाधिकारी होने में कोई भेदभाव नही किया जायेगा अर्थात लिंग के आधार पर पक्षपात रहित होगा किन्तु यदि किसी कक्षा वर्ग में 100 से अधिक, विद्यार्थी हो जाये तो उस कक्षा वर्ग से एक और वर्ग प्रतिनिधि का चुनाव होगा और वह छात्राओं हेतु आरक्षित होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

1. प्रत्येक योग्यताधारी छात्र/छात्रा निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर नामांकन करेगा और उसका अनुमोदन भी दो योग्यताधारी विद्यार्थी द्वारा होना चाहिये।

2. योग्यताधारी छात्र/छात्रा को अपनी योग्यता का प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष/अध्यक्षा से प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। निम्न प्रमाण-पत्र उसके नामांकन प्रपत्र के साथ अवश्य संलग्न होना आवश्यक है:-
   - अ. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र जो इस बात की पुष्टि करे कि वह अमुक कक्षा वर्ग का विद्यार्थी है।
   - ब. कुल सचिव का प्रमाण-पत्र, इस प्रमाण के साथ कि उसका/उसकी उपस्थिति **50** प्रतिशत है।
   - स. कुलानुशासक का प्रमाण पत्र कि उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गयी है।
   - द. परीक्षा अधीक्षक का प्रमाण पत्र कि उस पर विगत परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गयी है।
   - य. इस तथ्य का शपथ पत्र कि उसे किसी अपराधी मुकदमें में दण्डित न किया गया हो न उस पर कोई अपराधिक मामला लम्बित है।
3. प्रत्येक कक्षा वर्ग के संस्थागत समस्त विद्यार्थी मतदाता होगें। यदि विद्यार्थी उस कक्षा वर्ग का संस्थागत विद्यार्थी नही है तो वह उस कक्षा विशेष वर्ग का न तो मतदाता हो सकता है और न कक्षा वर्ग प्रतिनिधि निर्वाचन हेतु नामांकन अथवा अनुमोदन कर सकता है।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा वर्ग के अतिरिक्त का प्रयास असंवैधानिक माना जायेगा?
5. बहुमत प्राप्त नामांकित विद्यार्थी उस कक्षा वर्ग विशेष हेतु निर्वाचित माना जायेगा।
6. समस्त निर्वाचित कक्षा वर्ग प्रतिनिधि निर्वाचक मण्डल के सदस्य माने जायेगें।
7. शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी निर्वाचक मण्डल की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं यदि वह अनुच्छेद IV (अ) खण्ड 1 की अर्हयतायें पूर्ण करने के साथ निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करें:-
   1. शिक्षणेत्तर कार्यक्रम का नामांकित सदस्य है।
   2. कार्यक्रम अधिकारी उसके कार्य से संतुष्ट है।
   3. कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागी हो।

   विद्यार्थी अनुच्छेद IV (अ) खण्ड 2 में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें:-
   - अ. 1 एवं 2 के समस्त प्रमाण पत्र
   - ब. कार्यक्रम अधिकारी का प्रमाण पत्र, जिस शिक्षणेत्तर कार्यक्रम का सदस्य हो।
   - स. उसकी सहभागिता कम से कम **50** प्रतिशत उस कार्यक्रम में हो।
   - द. कार्यक्रम अधिकारी का प्रमाण पत्र जो उसके अनुशासित होने का प्रमाण हो।
   - ट. प्रत्येक शिक्षणेत्तर इकाई से एक विद्यार्थी निर्वाचित होकर जायगा।
8. समुदाय विशेष, जैसे मसीही, सिक्ख, जैन, मुस्लिम इत्यादि से एक-एक सदस्य। इनकी संख्या महाविद्यालय में अपेक्षाकृत क्रम होने के कारण इन्हें पूर्व कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर नामित किया जा सकता है। यदि वे अनुच्छेद IV (अ) खण्ड 1 की योग्यता रखते है।
9. कला वर्ग, गणित वर्ग एवं बायो वर्ग के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के टॉपर प्राचार्य द्वारा निर्वाचक मण्डल के नामित सदस्य होंगे।
10. शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित एक छात्र एवं छात्रा प्राचार्य द्वारा निर्वाचक मण्डल के नामित सदस्य होंगे।

इस खण्ड की 6, 7, 8, 9, एवं 10 श्रेणी के समस्त विद्यार्थी निर्वाचक मण्डल के सदस्य होंगे एवं वे छात्र संघ कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे, परन्तु श्रेणी 8, 9 एवं 10 के नामित सदस्य छात्र संघ पदाधिकारी के किसी पद के उम्मीदवार नही हो सकेगें।

**खांड** 3 **:** छात्र-संघ की सदस्यता से यदि कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देता और वह कार्यकारिणी का पदाधिकारी भी है तो इस परिस्थिति में चुनाव परिणाम में द्वितीय स्थान का विद्यार्थी (मत प्राप्त संख्या के आधार पर) स्वत: निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

**नोट :**

1. **सदस्यों की अधिकतम संख्या कुल संस्थागत छात्रों की संख्या और शिक्षणेत्तर इकाइयों की संख्या तथा उनमें नामांकन पाये विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सत्र विशेष में**

**निर्धारित की जायेगी। अर्थात् निर्वाचन मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या आंशिक परिवर्तनीय है।**

3. **छात्राओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु इस अनुच्छेद के खण्ड 2 का अनुपालन अवश्य किया जाय।**
4. **छात्राओं की सहभागिता का कोई भी विवाद अध्यक्षा महिला समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है और अध्यक्षा महिला समिति अपनी आख्या छात्र-संघ संरक्षक को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी। संरक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।**
5. **यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक कक्षा वर्ग से कार्यकारिणी की सदस्यता हेतु नामांकन करता है और वह निर्वाचित भी हो जाता है तो उसे एक कक्षा वर्ग के निर्वाचन को स्वीकार करते हुए एक से अधिक कक्षा वर्ग के निर्वाचित सदस्यता से त्यागपत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन कार्य दिवस के अन्दर देना आवश्यक है।**
6. **त्याग पत्र न देने की दशा में संरक्षक उसके समस्त निर्वाचित कक्षा वर्गो से एक (जिसमें उसने सर्वाधिक मत प्राप्त किये हैं) निर्वाचन को बरकरार रखते हुए शेष निर्वाचन को निरस्त कर देगा और उस कक्षा वर्ग की सीट को रिक्त घोषित करते हुये द्वितीय सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी को विजयी घोषित कर उसे कक्षा वर्ग प्रतिनिधि के दायित्वों के अनुरूप व्यवहार करने का आदेश देगा।**

## अनुच्छेद : V
## कार्यकारिणी

**खंड 1 :** **छात्र-संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे:-**
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, उप-कोषाध्यक्ष (प्रत्येक संख्या में (एक) होंगे)

**खंड 2 :** **छात्र-संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव:-**
छात्र-संघ की कार्यकारिणी पदाधिकारी हेतु नामांकित प्रत्येक सदस्य का अनुमोदन दो कक्षा वर्ग प्रतिनिधि जो निर्वाचित हों, द्वारा होगा। एक से अधिक निर्वाचन योग्य सदस्य के नामांकन और अनुमोदन पर ही मतदान की आवश्यकता होगी। एकल प्रत्याशी की दशा में संरक्षक को अधिकार होगा कि नामांकन की तिथि एवं समय समाप्त होने पर उसे निर्वाचित घोषित करें और उसका प्रमाण-पत्र चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत करें।

अ. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री संयुक्त मंत्री एवं उप-कोषाध्यक्ष का चुनाव कक्षा-वर्ग प्रतिनिधियों से किया जायेगा।

ब. कोषाध्यक्ष की नियुक्ति महाविद्यालय के स्थायी शिक्षक सदस्यों में से प्राचार्य के द्वारा की जायेगी।

---

**खंड** 3 : **कार्यकारिणी का चुनाव : सामान्य नियम:-**
**छात्र संघ के निर्वाचित सदस्य ही कार्य कारिणी का गठन करेंगे अर्थात् कार्यकारिणी के पदाधिकारी का निर्वाचन कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों में से किया जायेगा। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-**

1. **कार्यकारिणी का कोई सदस्य जो स्नातक तृतीय वर्ष का विद्यार्थी न हो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने का योग्य नही माना जायेगा। यह नियम उसके अनुमोदक पर लागू न होगा।**
2. **कोई भी सदस्य जो स्नातक तृतीय/द्वितीय वर्ष का न हो उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार नही हो सकता है। यह नियम उसके अनुमोदक पर लागू न होगा।**
3. **कोई भी सदस्य जो स्नातक तृतीय/द्वितीय वर्ष का न हो मंत्री पद का प्रत्याशी न होगा। यह नियम उसके अनुमोदक पर लागू न होगा।**
4. **कोई भी सदस्य जो स्नातक द्वितीय/प्रथम वर्ष न हो संयुक्त मंत्री का प्रत्याशी नही हो सकता है। यह नियम उसके अनुमोदक पर लागू न होगा।**
5. **कोई भी सदस्य कार्यकारिणी के दो पदों हेतु नामांकन कर सकता है। परन्तु मतदान आरम्भ होने के पूर्व संरक्षक के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि यदि वह दोनो पदों से निर्वाचित होता है तो भविष्य में किस एक पद पर आसीन रहेगा। त्यागपत्र**

**से रिक्त स्थान पर द्वितीय सर्वाधिक मत प्राप्तकर्ता स्वत: निर्वाचित घोषित माना जायेगा और प्रमाण पत्र निर्वाचक अधिकारी निर्गत करेंगे।**

6. **छात्र संघ के नामित सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यता हेतु नामांकन नही कर सकते है।**
7. **सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी को पद विशेष हेतु निर्वाचित किया जायेगा जिस हेतु उसने चुनाव में नामांकन किया हो।**
8. **निर्वाचन की घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा की जायेगी। चुनावाधिकारी परिणाम के घोषणापूर्व स्थायी समिति की संस्तुती ले सकते है। इस हेतु वह स्थायी समिति को पूर्व सूचित कर सकते है और सम्भावित समय तथा स्थान की सूचना चुनाव पूर्व तिथि में दे सकते है।**
9. **स्थायी समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति अथवा अल्पसंख्या में होने पर प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।**
10. **निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण संरक्षक सम्पन्न करायेंगे। शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के तिथि पर ही होगा। समय तथा स्थान संरक्षक स्वयं तय करेंगे।**
11. **किसी विवाद की स्थिति में प्राचार्य विवादास्पद पहलू को स्थायी समिति को पुनर्विचारार्थ अथवा विधि विशेषज्ञ के पास सुझाव हेतु भेज सकते है। प्राचार्य द्वारा लिया गया निर्णय इस संदर्भ में अन्तिम होगा।**

**खंड 4 : संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों के आचरण के लिए सामान्य नियम निम्नलिखित होंगे:-**

1. यदि कोई पदाधिकारी अथवा छात्र-संघ-सदस्य छात्र-संघ की तीन बैठकों में बिना किसी उपयुक्त कारण के उपस्थित न हो तो वह छात्र-संघ का सदस्य न रहेगा। यद्यपि यह अनुबन्ध कोषाध्यक्ष पर लागू न होगा।
2. कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना के द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। किन्तु वह तब तक अपने पद से सम्बन्धित समस्त कर्तव्यों की पूर्ति करता रहेगा जब तक उसका त्याग-पत्र छात्र-संघ के परामर्शदाता द्वारा अग्रसारित होकर प्राचार्य से अनुमोदित न हो जाय। प्राचार्य कार्यालय से इस तथ्य की लिखित पुष्टि के बाद ही अमुक पदाधिकारी का त्याग पत्र स्वीकार माना जायेगा। सम्बन्धित सूचना अध्यक्ष को दी जायेगी।
३. अध्यक्ष यदि पद छोड़ना चाहे तो त्यागपत्र छात्र संघ संरक्षक द्वारा प्राचार्य को प्रेषित करेंगे एवं त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के बाद ही अपने पद के उत्तरदायित्वों से बरी होंगे। रिक्त पद पर दूसरे स्थान के प्रत्याशी को प्राचार्य द्वारा संरक्षक के सुझाव पर निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

**खण्ड 5 : चुनाव सम्बन्धी खर्च एवं वित्तीय उत्तरदायित्व:-**

1. कोई भी छात्र संघ का सदस्य प्रत्याशी जो 1000/- रूपया (रूपया एक हजार) से अधिक खर्च करेगा वह कार्यकारिणी के सदस्य की उम्मीदवारी खो देगा। यदि वह कार्यकारिणी के पदाधिकारी का चुनाव लड़ता है तो अधिकतम रूपया 2000/- तक खर्च कर सकता है। इस खर्च में उसके सहयोगियों द्वारा खर्च भी सम्मिलित माना जायेगा।
2. उम्मीदवार का खर्च उसके स्वयं और अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी प्रकार सहयोग (जैसे पोस्टर, बैनर आदि .....) के कुल खर्च से लगाया जायेगा।
3. चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के 2 सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक प्रत्याशी (निर्वाचित अथवा अनिर्वाचित) को अपने चुनाव सम्बन्धी व्यय को स्व प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड आडिटर से आडिट कराकर चुनाव अधिकारी को सौंप देगा।
4. चुनाव अधिकारी की आख्या चुनाव आय-व्यय में अन्तिम मानी जायेगी। परन्तु संरक्षक यदि चाहे तो पुनरावलोकन हेतु स्थायी समिति को संदर्भित कर सकते है।
5. सीमा से अधिक व्यय की स्थिति में निर्वाचित उम्मीदवार का परिणाम निरस्त और अनिर्वाचित उम्मीदवार को वार्षिक परीक्षा में बैठने को सम्मिलित होने से रोका जा सकता है।

**खण्ड** 6 : **चुनाव सम्बन्धी सामान्य नियम:-**

1. छात्र-संघ के निर्वाचित सदस्यों में से ही कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। यदि किसी पद के लिए एक से अधिक सदस्यों का नामांकन एवं प्रत्येक का अनुमोदन दो निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है तो मतदान की आवश्यकता होगी। एकल प्रत्याशी की दशा में संरक्षक को अधिकार होगा कि वह नामांकन की तिथि एवं समय समाप्त होने पर

उसे (एकल प्रत्याशी को) निर्वाचित घोषित करें और उसका प्रमाण-पत्र चुनाव अधिकारी निर्गत करें।

2. प्राचार्य एवं उनके द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी होगा तथा उसे आवश्यकता अनुसार सहायको की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। सहायको की नियुक्ति वह प्राचार्य से लिखित अनुमति के उपरान्त ही करेगा। उन समस्त विवादग्रस्त विषयों पर जो निर्वाचन के समय अथवा निर्वाचन के फलस्वरूप उदित होगें प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा। प्राचार्य यदि आवश्यक समझे तो स्थायी समिति के सदस्यों की बैठक
आहूत कर उनसे तथ्यागत सहमति ले सकतें हैं यद्यपि प्राचार्य स्थायी समिति के सदस्यों के सुझाव अथवा आम सहमति मानने के लिए बाध्य नही होंगे। परिस्थिति अंनुसार प्राचार्य द्वारा स्वविवेक से लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
3. कोषाध्यक्ष को नव निर्वाचित छात्र संघ के द्वारा उसकी प्रथम बैठक में आसीन किया जायेगा।
4. छात्र-संघ की कार्यकारिणी का चुनाव छात्र संघ के कुल निर्वाचित सदस्यों के मध्य होगा। कार्यकारिणी में कोई भी सदस्य ऐसा नही होगा जो निर्वाचित सदस्य न हो।
5. मतदान, मतपत्र के द्वारा उस स्थान पर होगा जो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्राचार्य की सहमति के बाद निर्धारित किया जायेगा। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
6. किसी भी पद के सम्भावित उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं, छात्र-संघ के सदस्यों तक अपनी छात्र हित/ कॉलेज हित अथवा दोनों के हितों में बाते रखने के लिए पम्फलेट और बैनर/ पोस्टर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार के स्थायी समिति के अध्यक्ष को लिखित आश्वासन देना होगा कि वह बैनर, पोस्टर आदि कॉलेज परिसर में नही लगायेंगे जिससे परिसर की दीवाले गंदी न हो। वह विद्यार्थियों तक अपनी बातें सदस्यों तक स्वयं अथवा मित्रों के माध्यम से पहुँचायेंगे, परन्तु किसी भी परिस्थिति में परिसर के वर्तमान स्थिति में पोस्टर/बैनर अथवा पम्पलेट द्वारा परिसर की दीवारों को गन्दा नही करेंगे। नियम के उल्लंघन में उसे अर्थदण्ड रू0 2000/- (दो हजार मात्र) देना पड़ सकता है एक निश्चित समयावधि में अर्थदण्ड न देने की स्थिति में चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अमुक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दें और उसकी लिखित सूचना प्रत्याशी को स्वयं अथवा किसी संदेशवाहक अथवा नोटिस के माध्यम से दे सकता है। एक बार नामांकन रद्द होने पर पुन: विचारणीय न होगा।
7. यदि कोई उम्मीदवार इस संविधान में वर्णित किन्ही नियमों में उल्लंघन के कारण अथवा निष्पक्ष व न्याय संगत चुनाव के हित में निर्वाचन अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाय तो ऐसी स्थिति में द्वितीय सर्वाधिक मत प्राप्तकर्ता उम्मीदवार स्वत: निर्वाचित समझा जायेगा।

**खंड 7 : छात्र संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का कार्यकाल:-**

1. प्रत्येक छात्र संघ सदस्य/पदाधिकारी का कार्यकाल उसके निर्वाचन की घोषणा से वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ के एक सप्ताह पूर्व तक होगा।
2. इस खंड के किसी भी अंश का अर्थ यों न लगाया जाय कि वह किसी भी अधिकारी के त्याग पत्र अथवा निष्कासन (स्वत: अथवा इस संविधान की किसी धारा के अनुसार) के मार्ग में अवरोध है।

**खण्ड 8 : प्रत्याशियों एवं चुनाव प्रचारकों के लिए आचार संहिता:-**

1. कोई भी प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नही होगा तथा न ही ऐसी कोई दुष्प्रेरणा देगा जिससे आपसी मतभेद अथवा घृणा बढ़े अथवा विभिन्न जातियों और भाषायी अथवा धार्मिक समुदायों अथवा छात्र समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
2. दूसरे प्रत्याशियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले कार्यो तथा अभिलेखों तक ही सीमित रहेगी। प्रत्याशी निजी जीवन की आलोचना से बचेंगे। दूसरे प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों के निजी जीवन, जो सार्वजनिक कार्यालयों से इतर हैं, की आलोचना से बचेंगे। दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनकें समर्थकों के उपर झूठे लांछन या आरोप से बचा जायेगा।
3. वोट प्राप्त करने हेतु जाति अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं का सहारा नही लिया जाएगा।
4. मतदाताओं को घूस, मतदाताओं को डराना-धमकाना, फर्जी मतदान, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की दूरी तक चुनाव प्रचार, मतदान के 24 घंटे के पूर्व आम सभा करना तथा मतदान

केन्द्र तक मतदाताओं को गाड़ी से लाने जैसे दृष्कृत्य, अपराध तथा भ्रष्ट गतिविधियॉं सभी प्रत्याशियों के लिए पूर्णत: वर्जित होंगी।

5. किसी भी प्रत्याशी को छपे हुए पोस्टर, पैम्फलेट अथवा किसी भी प्रचार हेतु छपी हुई सामग्री के उपयोग की अनुमति नही होगी। प्रत्याशी हस्तनिर्मित पोस्टरों का प्रचार हेतु उपयोग इस शर्त के साथ कर सकते हैं कि ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर Åपर दिए खर्च की सीमा के अन्तर्गत हों।
6. प्रत्याशी हस्तनिर्मित पोस्टरों का प्रयोग कॉलेज में अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही करेंगे।
7. किसी भी प्रत्याशी को कॉलेज के बाहर जुलूस निकालने, आम सभा करने अथवा प्रचार करने की और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नही होगी।
8. कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक कॉलेज परिसर की किसी सम्पत्ति से कॉलेज की बिना पूर्वानुमति के न तो छेड़-छाड़ करेगा न ही उसे क्षति पहुँचाएगा। कॉलेज की सम्पत्ति की क्षति अथवा छेड़-छाड़ होने पर सभी प्रत्याशी सामूहिक रूप से जिम्मेदार माने जाएगे।
9. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के जुलूस निकालने, आमसभा करने की छूट होगी बशर्ते ऐसे जुलूसों और आम सभाओं से कॉलेज की कक्षाओं तथा सह-शिक्षण गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही ऐसे जुलूसों और आम सभाओं के लिए कॉलेज के सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
10. ध्वनि विस्तारक यंत्रों, गाड़ियों एवं पशुओं का प्रचार हेतु उपयोग वर्जित होगा।
11. निर्वाचन के दिन विद्यार्थी संगठन एवं सभी प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों का सहयोग करेंगे जिससे चुनाव शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सकें तथा निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य/अथवा सामान्य सदस्य अपने मत का बिना किसी व्यवधान के अथवा बिना किसी विवाद के उपयोग कर सकें। मतदान के दिन कोई प्रचार नही होगा।
12. निर्वाचकों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बिना पास अथवा कॉलेज के सक्षम अधिकारी के अनुमति पत्र के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नही करेंगे।
13. प्राचार्य निष्पक्ष प्रेक्षक नियुक्त करेंगे। यदि प्रत्याशियों को मतदान प्रक्रिया में कोई कठिनाई है अथवा शिकायत है तो वह इसे प्रेक्षकों के संज्ञान में लाएगें।
14. मतदान समाप्ति के 48 घंटे के अंदर मतदान क्षेत्र की सफाई सभी प्रत्याशियों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
15. उपर्युक्त किसी अनुशंसा का पालन न करने पर आवश्यकतानुसार प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है अथवा उसे निर्वाचित पद से पदच्युत किया जा सकता है। कॉलेज के अनुशासक ऐसे किसी भी अवज्ञाकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेंगे।
16. उपर्युक्त आचार संहिता के साथ-साथ यह भी अनुशंसा की जाती है कि भारतीय दंड संहिता **1860** {धारा (**153** ए)} और अध्याय {(ix ए) चुनाव संबंधी अपराध} भी छात्रसंघ चुनाव में लागू रहेंगे।

## अनुच्छेद VI
## परिवाद निवारण प्रक्रिया (पनिप्र)

1. चुनाव प्रक्रिया संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु प्रांचार्य द्वारा छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में एक परिवाद निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्राकोष्ठ में एक वरिष्ठ प्राध्यापक, एक प्रशासनिक अधिकारी एवं दो अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे। परिवाद निवारण प्रकोष्ठ का अधिदेश चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण तक मात्र सीमित न होकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन एवं चुनावी खर्चों के विवरण से जुड़ी शिकायतों को भी आच्छादित करेगा। यह प्रकोष्ठ कॉलेज की नियमित इकाई के रूप में कार्य करेगा।
2. अपने दायित्वों के निर्वहन में परिवाद निवारण प्रकोष्ठ आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं अथवा स्वयम् द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अधिकृत होगा। प्रकोष्ठ पनिप्र को आरम्भिक अधिकारिता से जुड़े हुए अधिकार प्राप्त होंगे। (उन समस्त चुनावी वादों एवं विवादों में जिस पर प्रकोष्ठ द्वारा अन्तिम निर्णय दिया गया हो, प्राचार्य

अपीलीय अधिकारिता से युक्त होंगे एवं वे विधि एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने हेतु स्वतत्र होंगे।) पुर्निक्षण के उपरान्त प्राचार्य प्रकोष्ठ व्दारा अधिरोपित (imposed) दण्ड को निप्प्रयोज्य अथवा संशोधित कर सकते हैं। प्राचार्य अपने निर्णय के पूर्व स्थायी समिति को भी तथ्य विचार हेतु भेज सकतें हैं।

3. प्रकोष्ठ अपनी दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही एवं सुनवाई सुनिश्चित करेंगा। इन दायित्वों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में प्रकोष्ठ को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे।

अ. प्रत्याशी, कार्यकर्ता एवं छात्र को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी अभिलेख प्रस्तुति हेतु जारी करना।

ब. किसी प्रत्याशी व्दारा व्यय के विवरण की जॉच करने के उपरान्त उसे आवेदन पर सार्वजनिक जॉच हेतु उपलब्ध कराना।

स. प्रकाष्ठ के सदस्य स्वयं कोई शिकायत नही दर्ज कर सकेंगें। कोई भी छात्र प्रकोष्ठ के समक्ष चुनाव के परिणामों की घोषणा की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर शिकायत पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। समस्त शिकायतें शिकायतकर्ता के नाम के साथ ही दर्ज की जाएगी। पनिप्र समस्त शिकयतों की प्राप्ति के उपरान्त 24 घण्टों के भीतर उनका संज्ञान लेते हुए या तो उन्हें निरस्त (dismiss) करेगा या सुनवाई के लिए तिथि निश्चित करेगा।

द. प्रकोष्ठ किसी भी शिकायत को निम्न परिस्थितियों में ही निरस्त कर सकेगा:-

१. शिकायत का निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पंजीकृत न होना। चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी असंतोषजनक कारण में 6 से 8 घण्टे के अन्दर शिकायत दर्ज होनी चाहिये।

२. ऐसी शिकायत जिसके लिए राहत की अभ्यर्थना की जा रही हो, परन्तु उसका वाद हेतु बताने में असमर्थ हो।

३. शिकायतकर्ता को न तो कोई क्षति हुई है एवं/ अथवा न ही भविष्य में नुकसान की संभावना हो।

य. शिकायत के निरस्त न होने की स्थिति में सुनवाई होनी चाहिए। प्रकोष्ठ व्दारा शिकायतकर्ता, समस्त संबंधित व्यक्तिगत पक्षकारों या समूह जिनके नाम वाद में उल्लिखित हैं, उन सभी को लिखित नोटिस या ई-मेल व्दारा सुनवाई हेतु निश्चित समय की सूचना दी जाएगी। पक्षकारों को अधिसूचित करने की कार्यवाही तभी पूरी मानी जाएगी, जब उन्हें शिकायत की एक प्रति अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।

र. वादों की सुनवाई यथाशीघ्र (24 घण्टों में) सम्पन्न कर ली जाएगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में यह समय-सीमा लागू न होगी। समस्त पक्षकारों को सोचने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

ल. सुनवाई हेतु सूचना के निर्गत किए जाते समय पनिप्र व्दारा बहुसंख्या के आधार व्दारा यह निश्चित करने की स्थिति में इस प्रकार की कार्यवाही किसी व्यक्ति अथवा समूह के उपर अनावश्यक या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, अंशकालिक निरोधात्मक आदेश पारित करेगा। कोई भी ऐसा निरोधात्मक आदेश पारित होने के उपरान्त सुनवाई के बाद दिए गए आदेश या स्वयं ही खारिज किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

व. पनिप्र की समस्त सुनवाई, कार्यवाही एवं बैठकें सार्वजनिक रूप से की जाएगी।

प. व्यथा विशेष से संबंधित सभी पक्षकार सुनवाई के समय पनिप्र के समक्ष उपस्थित होंगे। वे अपने साथ ऐसे किसी भी छात्र को लाने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनसे वे परामर्श ले सकें अथवा वे उस छात्र को अपने प्रतिनिधि के रूप में भी भेज सकेंगे।

फ. सुनवाई के समय पनिप्र के अध्यक्ष समेत प्रकोष्ठ के वर्तमान सदस्यों की बहुसंख्या में उपस्थित होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रकोष्ठ का ही कोई एक सदस्य उनके व्दारा नामित होगा और पीठासीन अधिकारी के रूप में सुनवाई करेगा।

ब. पनिप्र सुनवाई हेतु प्रारूप तैयार करेगा और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि शिकायतकर्ता एवं प्रत्याशी स्वयं उपस्थित होकर वाद विषय के उपर आरोप, जवाब, खण्डन एवं प्रत्युततर के प्रस्तुतीकरण के दायरे में बहस कर सुनवाई का प्रयोजन होगा कि चुनाव संबंधी वाद के संबंध में निर्णय लेना, आदेश पारित करने या व्यवस्था देना जिससे ऐसा विवाद सुलझाया जा सके। इस प्रयोजन को सम्पादित करने की दिशा में समस्त सुनवाई हेतु अधोलिखित नियम प्रभावी होंगे:-

1. प्रत्येक शिकायतकर्ता दो से अधिक साक्षी नही ला सकेगा। यद्यपि पनिप्र आवश्यकतानुसार अन्य साक्षीगणों को भी बुला सकेगा। साक्षी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में अक्षम होने की स्थिति में हस्ताक्षरित कथन अप्रत्यक्ष रूप से गवाही के रूप में कर सकेगा।
2. पक्षकारों के संबंधित समस्त प्रश्न एवं परिचर्चा पनिप्र को संदर्भित की जाएगी।
3. सुनवाई के दौरान किसी भी साक्षी या पक्षकार के विरूद्ध शिकायतकर्ता अथवा प्रतिपक्ष द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष या जिरह (प्रतिपक्ष) के माध्यम से कार्यवाही नही होगी।
4. पनिप्र विवाद निपटाने हेतु युक्तियुक्त समय निर्धारित करेगा स्वं विवाद के पक्षकारों के प्रति उचित एवं समान बर्ताव करेगा।
5. शिकायतकर्ता के उपर आरोप को सिद्ध करने का भार होगा।
6. पनिप्र द्वारा पारित निर्णय, आदेश अथवा व्यवस्था में बहुसंख्य सदस्यों की सहमति होना आवश्यक होगा एवं सुनवाई के समापन के बाद उसे अविलम्ब घोषित कर दिया जाएगा। निर्णय की लिखित रूप से घोषणा विवाद की निष्पक्ष जॉच की प्रक्रिया के पूर्ण होने के 12 घण्टों के भीतर की जाएगी। पनिप्र द्वारा लिखित मत तथ्यों के अन्वेषण को आधार मानकर स्थापित किए जाएगें। लिपिबद्ध किए गए निर्णय लगातार तीन वर्षो के चुनाव चक्र हेतु पनिप्र विनिर्णय के नजीर के रूप में स्थापित होंगे एवं प्रकोष्ठ की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेगें। पनिप्र द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों को सम्यक् विचारोपरान्त नकारा जा सकता है परन्तु यह निषेध लिपिबद्ध कारणों को दर्शाते हुए किया जा सकेगा।
7. यदि पनिप्र द्वारा पारित आदेश को प्राचार्य के समक्ष चुनौती दी जाती है तो प्रकोष्ठ को स्वयं पारित आदेश की प्रति परामर्श हेतु प्राचार्य द्वारा गठित आयोग/ प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।
8. पनिप्र नियमों के उल्लंघन की प्रकृति एवं उग्रता के साथ-साथ उल्लंघनकर्ता की मन:स्थिति एवं नीयत को ध्यान में रखते हुए समाधान अथवा दण्ड विधान का निर्धारण करेगा। उपलब्ध दण्ड-विधानों में अर्थदण्ड, चुनाव प्रचार के अधिकार का खारिज करना एवं चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने के अतिरिक्त कतिपय अन्य दण्डों का भी निर्धारण किया जा सकता है।
9. किसी भी प्रत्याशी के उपर कोई भी आर्थिक दण्ड लागू करने के पूर्व यह ध्यान रखा जाय कि यह राशि चुनाव खर्च के अधिकतम व्ययराशि से अधिक न हो जाए।
10. यदि वाद की सुनवाई के उपरान्त पनिप्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस आचार संहिता का किसी प्रत्याशी अथवा उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रकोष्ठ प्रत्याशी, उसके एजेन्ट अथवा उसके कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की समस्त या अवशिष्ट अवधि हेतु प्रतिबंधित कर सकेगा। चुनाव प्रचार की एक आंशिक अवधि हेतु प्रतिबन्ध लागू होने की आज्ञा तात्कालिक रूप से प्रभावी होगी एवं उसकी समाप्ति के उपरान्त प्रत्याशी को मतदान पूर्व की अवधि तक चुनाव प्रचार करने की छूट होगी।
11. सुनवाई के उपरान्त यदि प्रकोष्ठ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी प्रत्याशी, उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकोष्ठ द्वारा पारित निर्णयो, आदेशों या व्यवस्थाओं की उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर दुराग्रहपूर्वक और घोर रूप से उत्पातपूर्वक उल्लंघन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर सकेगा।
12. पनिप्र द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कोई भी पक्ष निर्णय घोषित होने के 24 घण्टों के भीतर प्राचार्य के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। प्राचार्य को पनिप्र द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त होंगें।
13. पनिप्र द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रूप से तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि प्राचार्य द्वारा अपील की सुनवाई के उपरान्त निर्णय न हो जाय।
14. प्राचार्य पनिप्र के निर्णय के विरूद्ध दायर अपील को अतिशीघ्र निपटाने हेतु सुनवाई संनिश्चित करेगें परन्तु प्रकोष्ठ द्वारा अपने निर्णय की प्रति अपीलान्ट एवं प्राचार्य को सौपने के 24 घण्टें के बाद ही कार्यवाही शुरू करेंगे। इस समयावधि के पूर्व भी अपील पर सुनवाई की जा सकेगी।

15. प्राचार्य अपील के निस्तारण पूर्व की प्रक्रिया अवधि में प्रकोष्ठ द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित या रोकने हेतु उचित आदेश पारित कर सकेंगे।
16. प्राचार्य दायर की गयी अपीलों की पुनर्वीक्षा (review) कर सकेंगे। प्राचार्य पुनरीक्षण पारित आदेशों को मंजूरी दे सकेंगे या आरोपित दण्ड को परिवर्तित कर सकेंगें।

## अनुच्छेद : VII
## छात्र संघ मे कार्यकारिणी के कर्तव्य एवं अधिकार

**खंड । :** **छात्र संघ कार्यकारिणी के कार्य:-**

1. संघ सभा को सौपे गये समस्त कार्यो में संघ सभा के स्थान पर क्रियाशील रहेगी।
2. छात्र-संघ अनुशासन समिति के कार्यो के अलावा अन्य सभी कार्यो की सूचना संघ के सदस्यों को देगा।
3. छात्र हित में मॉगो को स्वीकृत कर (यदि कोई आवश्यक हो) कॉलेज प्रशासन के समक्ष विचारार्थ भेजेंगा।
4. छात्र संघ के आय-व्यय विवरण तथा कार्यक्रम निश्चित कर उसे संघ सभा की सहमति के लिए प्रस्तुत करेगा।
5. मंत्री द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण तथा हिसाब की जॉच पर सहमति प्रदान करेगा। मंत्री द्वारा तैयार किया गया धन सम्बन्धी विवरण कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा छात्र संघ के सलाहकार द्वारा अग्रसारित और प्राचार्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। सम्पूर्ण आय व्यय (छात्र संघ) का
   लेखा-जोखा किसी भी बैठक का अंश नही हो सकता है। उसे पूर्व घोषित बैठक में पदाधिकारियों के बहुसंख्या में हुई बैठक में रखा जा सकता है।
6. संघ को अधिकार होगा कि दो तिहाई से कम पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक स्थगित कर दे और नयी तिथि व समय की घोषणा करें।
7. 1000/- रूपये (एक हजार रूपये) से अधिक के समस्त बिल तथा व्यय पर सहमति प्रदान करेगा। इसकी लिखित सूचना कोषाध्यक्ष को देगा और अन्तिम निर्णय हेतु संरक्षक की अनुमति की प्रतीक्षा करेगा।
8. कम से कम दो माह में एक बार प्रस्तुत स्थायी समिति के विवरण को सुनेगा तथा उस पर सहमति प्रदान करेगा।
9. अपनी योजनाओं तथा कार्यो का उपयुक्त प्रचार करेगा,
10. संघ किसी भी परिस्थिति में शिक्षक संघ/शिक्षक संगठन के बैठक का हिस्सा न होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की मॉग प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त करने योग्य होगी।

**खंड** 2 **:** **छात्र-संघ द्वारा मॉग (यदि कोई हो तो) रखने की प्रक्रिया:-**

1. यदि छात्र संघ छात्र हित में कोई मांग कॉलेज प्रशासन के समक्ष रखना चाहता है तो वह छात्र सभा की आम बैठक में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव को छात्र संघ के पदाधिकारी द्वारा कॉलेज प्रशासन के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्राचार्य कार्यालय में दे सकता है। प्रस्ताव पर समस्त निर्वाचित सदस्यों के नाम अनुक्रमांक और हस्ताक्षर होंगे। दो तिहाई 2/3 सदस्यों का अर्थ कुल छात्र-संघ के निर्वाचित और नामित सदस्य जिसमें पदाधिकारियों की संख्या भी शामिल होगी।
2. यदि छात्र हित मे कोई मांग हो तो वह छात्र-संघ के कम से कम 2/3 सदस्यों के लिखित अनुमोदन से कार्यकारिणी के पदाधिकारी कॉलेज प्राचार्य के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में रखें।
3. कॉलेज प्रशासन एक सप्ताह (7 कार्य दिवस) में मॉगों के संदर्भ में प्रत्युत्तर देगा। इस संदर्भ में प्राचार्य स्थायी समिति की बैठक भी आहत कर सकते है। विशिष्ट मॉग के संदर्भ में प्राचार्य समस्त शिक्षकों की सहमति हेतु शिक्षक समूह की बैठक किसी भी कार्य दिवस में आहूत कर सकतें हैं।
4. यदि संघ सभा प्रशासन के प्रत्युत्तर से असहमत हो तो पुन: मॉगो को मूल रूप में अथवा संशोधित रूप से विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है और उसे प्रशासन से 7 कार्य दिवस तक प्रत्युत्तर का इन्तजार करना होगा।

5. पुनर्विचारार्थ प्रस्तुत मॉग पर असंतोषजनक प्रत्युत्तर की स्थिति में संघ सभा को अधिकार होगा कि अपनी मॉगो के लिए, कॉलेज प्रशासन को एक सप्ताह पूर्व सूचना और जिला प्रशासन के पूर्व अनुमति के उपरान्त प्रजातांत्रिक विधि से अन्य विकल्पों पर क्रियान्वयन कर सकता है। नियमों के उल्लंघन की दशा में परिसर में की गयी गतिविधि असंवैधानिक मानी जायेगी और कॉलेज रखी गयी मांगो को निरस्त कर सकता है।

**खंड** 3 : **छात्र संघ की बैठक**

1. छात्र-संघ माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और उसका विवरण स्थायी समिति को सौपेगा। स्थायी समिति अपनी आख्या छात्र-संघ संरक्षक को एक सप्ताह में आवश्य ही सौप देगी।
2. छात्र-संघ की बैठक साधारणत: एक सप्ताह की सूचना पर आमंत्रित की जायेगी। मंत्री सूचना सम्बंधी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों का अभिलेख रखेगा और संरक्षक कभी भी उस अभिलेखा को अवलोकन हेतु मांग सकते हैं।
3. आपात स्थिति में आपातकालीन बैठक अध्यक्ष की इच्छानुसार किसी भी समय आमंत्रित की जा सकेगी।
4. संघ सभा के कोई भी 10 सदस्य लिखित रूप में किसी भी समय संघ सभा की बैठक आंमत्रित करने की मॉग कर सकते हैं। अध्यक्ष सदस्यों की मांगो की गम्भीरता को देखते हुये स्थान एवं समय निर्धारित कर बैठक की सूचना दे सकता है। ऐसी बैठक हेतु प्राचार्य की लिखित अनुमति आवश्यक है। प्राचार्य की अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ प्राध्यापक जो कार्यवाहक का कार्य देख रहा हो कि लिखित अनुमति दे सकता है। प्राचार्य कुलानुशासक को निर्देशित कर सकता है कि वह ऐसी किसी भी परिस्थिति का निरीक्षण करें और अपनी गोपनीय आख्या प्राचार्य को दे।

**खंड** 4 :

1. किसी विशिष्ट विषय पर आवश्यक मतदान हेतु संघ सभा के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम के रूप में आवश्यक होगी। यद्यपि स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता न होगी।
2. कोरम संख्या के न होने पर यदि संघ सभा की कोई बैठक न हो सके तो सूचना दी जायेगी तथा इसके कम से कम एक सप्ताह पश्चात् बैठक हो सकेगी तथा ऐसी बैठक स्थगित समझी जायेगी जिसमें कोरम की आवश्यकता पूरी न हुई हो।
3. यदि छात्र-संघ की कोई आपातकालीन बैठक कोरम की कमी के कारण न हो सके तो जितनी शीघ्र हो, छात्र-संघ के दो तिहाई सदस्यों को समुचित सूचना देकर स्थागित बैठक के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

**खंड** 5 : **अध्यक्ष को अधिकार होगा:-**

1. छात्र-संघ तथा संघ-सभा की आवश्यक बैठकें आमंत्रित करने का।
2. छात्र-संघ तथा संघ सभा की बैठकों में सभापतित्व करने तथा अध्यक्ष के सामान्य कर्तव्यों को निभाने का।
3. सभा के विधिवत् कार्य संचालन के संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो इस संविधान अथवा इसके उपनियमों में वर्णित है।
4. किसी भी सदस्य को जो जानबूझ कर तथा लगातार किसी भी बैठक की विधि तथा संचालन व्यवस्था का उल्लंघन करे, उसे संघ के उस अंग की बैठक की अवधि तक निष्कासित करने का।
5. यदि व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता हो तो संघ के किसी भी अंश की बैठक को स्थागित अथवा विघटित करने का।

**नोट:- अध्यक्ष को किसी भी प्रश्न पर साधारण मताधिकार न होगा, किन्तु उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।**

**खंड** 6 : **अध्यक्ष के कर्तव्य:-**

1. कोषाध्यक्ष को लिखित रूप में परिषद की ओर से यह अधिकार देने का कि वह छात्र-संघ द्वारा समस्त भुगतानों को पूर्ण करें। कोषाध्यक्ष यदि किसी भुगतान से असहमत हो तो वह उसे अवलोकनार्थ वापस कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर वह छात्र-संघ सलाहकार की मदद ले सकता है और विशेष परिस्थिति में स्थायी समिति को भेज सकता है। स्थायी समिति के

निर्णय और प्राचार्य द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद ऐसे समस्त विवाद स्वत: समाप्त माने जायेंगे।

2. संघ तथा संघ के समस्त निर्णयों को कार्यान्वित करवाने का।
3. छात्र संघ अथवा संघ सभा में संतुलित-मत की स्थिति में निर्णायक मत देने का।
4. छात्र संघ सभा/ छात्र-संघ के अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देने का।
5. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कर्तव्य को पूर्ण करेगा।

**खंड** 7 : **मंत्री के कर्तव्य:-**

1. अध्यक्ष की सहमति से छात्र संघ तथा संघ सभा की बैठकों का समय तथा स्थान निश्चित करे तथा उनसे सम्बन्धित सूचनायें प्रसारित करें।
2. अध्यक्ष की सहमति से प्रत्येक बैठक का कार्यक्रम तैयार करे तथा उसे प्रकाशित करे।
3. ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही लिपिबद्ध करे तथा उसे आगामी बैठक में ग्रहणार्थ प्रेषित करे।
4. संघ से सम्बन्धित पत्र व्यवहार करे।
5. छात्र संघ के सदस्यों एवं अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति से परिषद का वार्षिक विवरण प्रकाशनार्थ लिखे।
6. संघ के समस्त ब्यौरे तथा अभिलेखों को रखे जिन्हें कोषाध्यक्ष न रखता हो।
7. अध्यक्ष, छात्र संघ के कार्यकाल समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व संघ के समस्त अभिलेख कोषाध्यक्ष को सौंप दे, मन्त्री अपने पास 200/- रूपये (दो सौ) तक रख सकता है जिसके लिए उसे कोषाध्यक्ष को हिसाब देना होगा। परीक्षा पूर्व मंत्री कोषाध्यक्ष से धन आय-व्यय के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेगा। अनापत्ति के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

**खंड** 8 : **संयुक्त मंत्री का कर्तव्य:-**

1. मन्त्री को सहयोग दें तथा छात्र संघ की सहमति से वे कर्तव्य पूर्ण करे जो उसे मन्त्री द्वारा सौंपे जातें है।
2. मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री के समस्त कर्तव्य पूर्ण करें।
3. महाविद्यालय परीक्षा के एक सप्ताह पूर्व अपने अन्तर्गत संघ के समस्त कागजात कोषाध्यक्ष को हस्तान्तरित करें।

**खंड** 9 : **कोषाध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह:-**

1. संघ के स्थान पर समस्त धन प्राप्त करे तथा उसकी उपयुक्त रसीद दें।
2. अध्यक्ष द्वारा अधिकृत समस्त धनराशियों का भुगतान बजट तथा विशेष कोष की सीमाओं के अन्तर्गत करे।
3. संघ के वित्त का मासिक ब्योरा तैयार करे तथा उसे संघ के सदस्यों के सूचनार्थ छात्र संघ के समक्ष प्रस्तुत करे।
4. नवनिर्वाचित मन्त्री को वे समस्त अभिलेख तथा कागजात हस्तान्तरित करे जो उसे भूतपूर्व मन्त्री तथा संयुक्त मन्त्री द्वारा सौंपे गये थे। महाविद्यालयीन आय-व्यय निरीक्षक को, जो कि संघ का व्यय निरीक्षक भी होगा, संघ के हिसाब की जॉच में सहयोग दें।

## अनुच्छेद : VIII
## छात्र संघ के संरक्षक

**खंड । :** प्राचार्य छात्र संघ के संरक्षक होंगे और आवश्यकतानुसार वह अपने नेतृत्व में संरक्षक मण्डल को नियुक्त कर सकते हैं।

1. **अधिकार:-**
   - **अ.** संरक्षक छात्र संघ का अंग होगा।
   - **ब.** वह आवश्यकतानुसार छात्र संघ के अधिकारियों की सामान्य/आपात बैठक बुला सकते हैं।
   - **स.** छात्र-संघ सभा/छात्र संघ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकतें हैं।
2. **शक्तियॉ:-**

अ. संरक्षक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक संस्था संचालन अधिनियम द्वारा प्राप्त समस्त शक्तियॉं प्राप्त होगी जिसे वे आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते हैं।

**ब.** संरक्षक विशिष्ट परिस्थिति में अपनी आपातकालीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग निम्न परिस्थितियों में संरक्षक कर सकतें हैं:-

1. जब उन्हें यह आभास हो जाय कि छात्र-संघ अपने मूल उद्देश्य से विमुख हो गया है।
2. छात्र-संघ के अधिकारियों में सामूहिक नेतृत्व का अभाव हो गया है।
3. छात्र-संघ के अधिकारी छात्र संघ /सभा का विश्वास खो चुके हैं।
4. छात्र-संघ के अधिकारी के कृत्य कॉलेज परिसर में अनुशासनहीनता/अशांति/सामान्य/विशिष्ट शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कार्य में बाधा पहुँचा रहें है।
5. कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहें हैं।
6. कॉलेज परिसर में कोई ऐसा कार्य जो शैक्षिक परिवेश को आसामान्य कर रहा हो।

उपरोक्त स्थितियॉं उत्पन्न होने पर संरक्षक छात्र-संघ या छात्र-संघ कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाकर सभा को संबोधित करते हुए कॉलेज परिसर में सामान्य स्थिति बनाये रखने का सुझाव दे सकता है अथवा विशिष्ट सूचना के माध्यम से छात्र-संघ सभा को भंग करने की घोषणा कर सकता है।

## अनुच्छेद : IX
## छात्र अनुशासन समिति

**खंड I : सदस्य:-**

1. छात्र अनुशासन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।
   अ. अध्यक्ष तथा मंत्री
   ब. दो सदस्य छात्र संघ द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जायेंगे।

**खंड 2 : कर्तव्य:-**

1. छात्र अनुशासन समिति का कर्तव्य होगा कि:-
   अ. संघ के सदस्यों में अनुशासन को प्रोत्साहित तथा अनुशासनहीनता को हतोत्साहित करना।
   ब. सिद्ध अनुशासनहीनता के मामलों को प्राचार्य तथा महाविद्यालय अनुशासन समिति को प्रस्तुत करना।
   स. उन मामलों में प्राचार्य को परामर्श देना जो उसे प्राचार्य महाविद्यालय प्रॉक्टर अथवा महाविद्यालय अनुशासन समिति द्वारा प्रेषित किये गये हो।

**खंड 3 : छात्र अनुशासन समिति को इस संविधान के उल्लंघनों का अधिकार न होगा।**

## अनुच्छेद : X
## न्यायिक समिति

**खंड 1 : न्यायिक समिति में निम्न सदस्य होंगे:-**

1. यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के कला/विज्ञान शिक्षक मण्डल का एक सदस्य जिसे शिक्षक मण्डल द्वारा त्रिवर्षीय कार्य काल के लिए नियुक्त किया गया हो। न्यायिक समिति की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व होगा।
2. तृतीय वर्ष कक्षा का एक सदस्य। यह विज्ञान/कला में स्नातक द्वितीय वर्ष के उस विद्यार्थी को प्राप्त होगा जो कॉलेज की वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो। इसका कार्यकाल सत्र विशेष में कॉलेज की वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व तक होगा।

3. द्वितीय वर्ष कक्षा का एक सदस्य जिसे प्रतिवर्ष एक सितम्बर के पूर्व ही नियुक्त किया जाय। इस सदस्य का कार्य-काल नियुक्ति से उसके यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में "वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ के एक सप्ताह पूर्व तक होगा।" इसकी नियुक्ति भी पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होगी।
4. न्यायिक समिति में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत ऐसे अंग के द्वारा की जायगी जिसमें स्थान रिक्त हुआ है तथा जिसे प्राथमिक नियुक्तियॉ करने का अधिकार प्राप्त हो। इस पर संरक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।
5. छात्र-संघ सलाहकार न्यायिक समिति में अध्यक्ष होंगे और कॉलेज प्राचार्य द्वारा नियुक्त संघ के सदस्य अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करेंगे।

**खंड** 2 : न्यायिक समिति की सदस्यता के लिए वही अर्हताएँ होंगी जो संघ के अन्य अधिकारियों के लिए अनुच्छेद **IV** में वर्णित हैं।

**खंड** 3 : न्यायिक समिति छात्र संघ के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नही है, किन्तु वह संरक्षक के अन्तर्गत अपनी शक्ति इस संविधान से प्राप्त करती है।

**खंड** 4 : न्यायिक समिति की नियुक्ति स्थायी समिति को विचारोपरान्त प्राचार्य द्वारा अनुमोदन से होगी।

**खंड** 5 : न्यायिक समिति का कार्यकाल वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व स्वत: समाप्त हो जायेगा।

**खंड** 6 : न्यायिक समिति के कार्य संचालन में किसी भी प्रकार का विवाद प्राचार्य के निर्णय के बाद स्वत: समाप्त माना जायेगा।

**खंड** 7 : न्यायिक समिति का कर्तव्य होगा कि वह निर्णय दे उन समस्त विवादों पर जो:-

1. इस संविधान के अर्थ से समबद्ध हो।
2. इस संविधान में वर्णित विभिन्न अंगों के कर्तव्यों तथा शक्तियों के मतभेदों से सम्बद्ध है।
3. संघ के तथा संघ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंग अथवा अंगों के कर्तव्यों अथवा शक्तियों में मतभेद से सम्बद्ध हों।
4. इस संविधान के अनुच्छेद **5** में संगठित किसी नियम, विधि अथवा उपनियमों के अर्थ से सम्बद्ध हो, यदि ऐसा मतभेद संघ के सदस्यों के अथवा समिति के, जिसमें यह विवाद उदित हुआ हो, दो तिहाई मत के द्वारा न्यायिक समिति को सौंपा हो।

## अनुच्छेद : XI
## संघ सभा

**खंड I :** निर्वाचक मण्डल को सामूहिक रूप से संघ सभा के रूप में जाना जायगा।

**खंड 2 :** 1. संघ सभा की साधारण बैठकें मंत्री के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार आमंत्रित की जायेगी।

2. संघ सभा की आवश्यक बैठकें मंत्री अथवा अध्यक्ष के द्वारा जब कभी आवश्यकता हो, आमंत्रित की जा सकेगी।
3. संघ के दस सदस्य लिखित रूप में अध्यक्ष से संघ सभा को किसी भी समय आंमत्रित करने का आग्रह कर सकेंगे।

**खंड** 3 : किसी भी संघ सभा में संघ की सदस्यता के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति कोरम के रूप में मतदान के लिये आवश्यक होगी।

**खंड** 4 :

1. संघ सभा को वे समस्त शक्तियॉ सुविधायें प्राप्त होंगी जो उसे स्पष्ट रूप से अथवा अन्य कारणार्थ इस संविधान के किसी भी हिस्से में प्रदान की गई है।
2. संघ सभा को वे समस्त अधिकार सुविधायें, कर्तव्य तथा शक्तियॉ प्राप्त होंगी जो इस संविधान के अन्तर्गत अनूदित हैं।
3. संघ सभा को अपने किसी भी अधिकार, सुविधाओं, कर्तव्यों अथवा शंक्तियों को छात्र संघ अथवा उसकी किसी भी स्थायी समिति को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।
4. छात्र संघ अनुशासन समिति तथा न्यायिक समिति को छोड़ कर, प्रत्येक रूप से संघ सभा के प्रति उत्तरदायी होगा।

**खंड** 5 : धार्मिक, साम्प्रदायिक प्रकृति के किसी भी मत पर वाद-विवाद अथवा उसका प्रोत्साहन संघ सभा, उसके द्वारा संगठित किसी भी बैठक के कार्य क्षेत्र में न होगा।

## अनुच्छेद : XII
## वित्तीय नियम

**खंड** 1 : संघ अथवा संघ की किसी भी समिति का कोई भी निर्वाचित अथवा नियुक्त अधिकारी अथवा सदस्य किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संघ अथवा उसकी वित्त को अपने व्यक्तिगत वित्तीय लाभ हेतु उपभोग न करेगा। किसी भी ऐसे अधिकारी अथवा समिति सदस्य को कर्तव्य निर्वाह हेतु की गई सेवाओं के लिये कोई भुगतान न किया जायेगा।

**खंड** 2 : कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत और छात्र संघ के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित वित्त ही कॉलेज वित्त अधिकारी **(College Bursar)** द्वारा भुगतान किये जायेंगे।

**खंड** 3 : विशेष परिस्थितियों में कोषाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से छात्र संघ की कार्य कारिणी के सदस्य वित्त के अंशो में आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं, परन्तु इसे छात्र संघ सभा की सामान्य बैठक से पारित होना आवश्यक है।

## अनुच्छेद : XIII
## अविश्वास तथा महाभियोग

**खंड** 1 : अविश्वास अथवा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचारार्थ सभा की बैठक न होगी जब तक कि कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य हस्ताक्षर कर तथा शिकायत का आधार दर्शाते हुये अध्यक्ष अथवा मंत्री को अर्जी न दें। अर्जी प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर ही बैठक आमंत्रित की जायेगी।

**खंड** 2 : अविश्वास अथवा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचारार्थ बैठक में न्यायिक समिति अपने एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

**खण्ड** 3 : छात्र-संघ संरक्षक स्थायी समिति के सदस्यों में किसी दो संदस्यों को ऐसी किसी भी बैठक में अवलोकनार्थ नियुक्त कर सकते हैं। स्थायी समिति के नियुक्त सदस्यों की संस्तुतियों को विचारार्थ स्थायी समिति में विचारार्थ रखा जायेगा। महाभियोग के निर्णय में स्थायी समिति के निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जायेगी।

**खंड** 4 : सभी को ऐसी बैठक में, पेशी दे रहे व्यक्ति को बोलने का अधिकार सदा प्राप्त होगा।

**खंड** 5 : **विशिष्ट:-**

१. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्री के प्रति अविश्वास एवं महाभियोग की दशा में प्रस्ताव छात्र संघ के शिक्षक सलाहकार के पास प्रथम दृष्टया अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

२. प्रथम दृष्टया प्रस्ताव के उपयुक्त होने की दशा में न्यायिक समिति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के माध्यम से प्राचार्य अथवा नामित शिक्षक सदस्य की अध्यक्षता में सुनवायी की जायेगी।

३. अविश्वास/महाभियोग की कार्यवाही हेतु गठित समिति के सदस्य:-

(i) प्राचार्य अथवा प्राचार्य नामित शिक्षक सदस्य (जो महाभियोग कार्यवाही सभा का अध्यक्ष होगा)

(ii) छात्र संघ के शिक्षक सलाहकार।

(iii) न्यायिक समिति का अध्यक्ष।

*****